



## 20 फरवरी को “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये दौड़ लगी

इस दौड़ में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय गर्भवती महिलाओं की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 23 जनवरी। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के जन्म आधारित नागरिक अधिकार खम्ब दोनों के कार्यकारी आदेश के बाद, अमेरिका के दूपतीमों, जो माता-पिता बनने वाले हैं, में 20 फरवरी से पहले सी सैक्षमन से बच्चे को जन्म देने की होड़ लग गई है। इसने 20 फरवरी की डैडलाइन दी है जन्म आधारित नागरिकों के अधिकार को समाप्त करने के लिए।

इन मामलों में से अधिकांश भारत के हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चलन विशेषज्ञ पर्यावरण दूषों के अलावा अन्य दोषों में भी है, जिनके हक्क व्यक्ति मामूली सी सैक्षमान होने पर इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है।

ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होगा, क्योंकि जो महिलाएं सी सैक्षमान का विकल्प छुन रही हैं, वे गर्भवती समय में अटके या नवें महिलाएं में ही गर्भवतीया के अवधि पूरी होने में कुछ ही समय बचता है, एवं इससे बच्चे को खतरा हो सकता है।

न्यूजीलैंड की मैटरिनीटी क्लीनिक में कार्यरत डॉ. एस.डी. रामारावन कहा कि

- ये महिलाएं, जिन्हें गर्भ धारण किये आठ या नौ महीने ही हुए हैं, “डैडलाइन” से पहले बच्चे को अमेरिका में जन्म देने के लिये, अमेरिका में डॉक्टरों पर “सिजरियन” प्रक्रिया से बच्चे को जन्म देने के लिए दबाव डाल रही हैं। हालांकि, डॉक्टर उन्हें बार-बार सलाह दे रहे हैं कि इस प्रक्रिया से बच्चे की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- समय से पूर्व जन्मे ऐसे बच्चों में फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इन बच्चों को माँ का स्तनपान करने में भी कठिनाई होती है। इन बच्चों का जन्म के समय वजन भी बहुत कम होता है तथा कुछ बच्चों में “न्यूरोतोजिकल प्रबलम्स” भी विकसित हो जाती हैं।
- ट्रम्प द्वारा निर्धारित डैडलाइन का उन लाखों भारतीयों पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका में अस्थायी वीजा प्राप्त करके रह रहे हैं।
- क्योंकि, अमेरिका में “ग्रीन कार्ड” प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, उन भारतीय दम्पत्तियों के लिए यह एक “सेफ्टी नेट” है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनकी पत्नियां गर्भवती हैं।

उनसे समय से पूर्व डिलीवरी कराने के महिला का मार्च में बच्चा होना है, वह उनसे कई लोगों ने आग्रह किया है। एक सात माह की गर्भवती है, पर अपने पति

के साथ समय से पहले डिलीवरी के लिए आई थी।

अस्थाई रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों में जन्म आधारित नागरिकों के अधिकार के डैडलाइन 20 फरवरी से पहले बच्चों को जन्म देने की होड़ लगी है, ताकि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए।

जन्म के आधार पर स्वतः नागरिकता मिल जाने के अधिकार को खत्म करना इमिशेन नीति में बड़ा बदलाव है तथा इसके अधिकारों में अस्थायी वीसा पर रह रहे लोगों भारतीय प्रधावित होंगे।

जन्म आधारित नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है, जो अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को अमेरिका का नागरिक बनने का अधिकार देता है, भले ही उसके माता-पिता किसी भी देश के हों और उनकी इमिशेन रिस्ट्रिक्शन चाहे जो हो।

डॉ. एस.जी. मुकुलाला ने लोगों की समय पूर्व प्रसव के संबंध में चेतावनी दी और कहा कि ऐसे बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं, तब्बे फैटिंग में अधिकार निखिल सेने ने कहा कि राज्य सरकार ने रामतुभाया कमेटी की सिफारिसों और तय मापदंडों के आधार पर नीम का थाना सिवित, अन्य जिलों में शेष अंतिम पृष्ठ पर।

नीमकाथाना व गंगापुर सिटी जिला समाप्ति मामले की सुनवाई 28 जनवरी को

जयपुर, 23 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नव सुविधा नीमकाथाना जिले का दर्ज समाप्त करने पर राज सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले के समाप्तकरण में गंगापुर सिटी के मामले में रामकेश मीणा को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने का कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में दायर याचिका के साथ 28 जनवरी को कहा है। चीफ जस्टिस एसएस श्रीविजय और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विद्याकरण रमण चंद्र खण्डलाल की याचिका पर प्रार्थनिक सुनवाई करते हुए दिए वर्ती, मामले में नीमकाथाना वार

सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को सूचीबद्ध करने के लिए 28 जनवरी को आर से पूर्व में द



# लाइब्रेरी में छात्रों से मारपीट मामले में पांच जने शांतिभंग में गिरफ्तार

मंडावा, (मिस्र) कर्वे में नेमीनाथ मार्केट स्थित एक लाइब्रेरी में उच्चवार को पढ़ने वाले छात्रों को मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने लाइब्रेरी संचालक की शिकायत पर पांच अरायियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया, जिनमें एक मंडावा थाने का हिस्ट्रीशीटर एवं उसका भाई पार्वद भी शामिल थे।

मामले को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मंडावा पहुंच कर तत्त्वार्थों के पास बैठे कर पार्वद सतार खान को गलत गिरफ्तार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को बिना जानके गिरफ्तार करना गलत बात है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री गुड़ा ने समुदाय विशेष के साथ बैठक कर पार्वद समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री

- लाइब्रेरी में हुई मारपीट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा मंडावा पहुंचे

- पुलिस थाना, एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की

कहा कि पुलिस प्रशासन को दोनों पक्षों को बातें सुनानी चाहिए बैठक के पश्चात गुड़ा पुलिस थाने पर हुए जहां पर पार्वद के समर्थकों के साथ पुलिस थाने के समर्थकों नारेबाजी कर विरोध जताया गया। जापन में मांग की गई कांस्ट्रिनेट मंडावा के समक्ष पेश किया गया। जिनके जमानत स्वीकार कर समझाइस भी की गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।

बुधवार को मोहल्ले के कुछ लोगों इन्हें समझाने के लिए गए। उनके साथ भी लाइब्रेरी के छात्रों ने झाड़ा किया। इस झगड़े में पुलिस द्वारा पार्वद सतार पर भी पांच-छह मुकदमे दर्ज हैं।

## नीमकाथाना जिला हटाये जाने के विरोध में धरना जारी

पाटन (मिस्र) नीमकाथाना जिला वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय बनाने की मांग को लेकर 24 बैंद्रिय के 48 वें वार्षिकोत्सव पर सुनानी संघ में गायकों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। आयोजन समिति के अंतर्गत भरतीयों ने बाताया कि सुनानी सुनानी चाहिए बैठक के पश्चात गुड़ा पुलिस थाने पर हुए जहां पर पार्वद के समर्थकों का विरोध जताया गया।

जिला अध्यक्ष अच्युत सुनाना ने क्रांतिक भूख हड्डताल पर पहुंचकर धरने पर बैठते लोगों से भी अपनी स्थानांदेश, प्रकाश सैनी हेमराजपुरा, गोदारा, पालिकाल्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत आदि का समर्थन द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिननंदन किया गया। स्थानीय गायक राजकुमार हमलहारा जारी रखने के न दीजों के द्वारा की भव्य और मनमोहक सजावट तथा गांगा, जमुना, सरस्वती के संगम पर सजाई छान भेग की जांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर समाजसेवी मनोज जोशी, अरुण रामगढ़िया, सुरेश मुरारका, गायकार एस पी वर्मा, बालकृष्ण धर्द, प्रकाश सोनी, पवन सराफ, रोनक बाजेरिया विजय सराफ, हिमांशु सराफ, स्थाम सराफ सराफ तथा बड़ी संभाया में नगरवासी उपस्थित थे।

सुनाना ने आगे कहा कि नीमकाथाना जिला अपने पूरे माप दण्ड पूरा करता था। राज्य सरकार मांगों का समाधान नहीं करती है तो जनता एकजुट होकर बड़े स्तर पर एं अंदोलन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीमकाथाना और सीकर संभाग के जिलाफ राज्य सरकार को जेतावनी दी। सुनाना ने कहा कि आगे सरकार को जेतावन को बापस लेने के बाद नीमकाथाना जिला अपने एकजुटता में निर्माण बढ़ाती हो रही है।

कहा है कि नीमकाथाना जिला के समर्थन में जिला कार्यालय के खिलाफ नारेबाजी की विरोध जताया गया।

## प्रारक्रम दिवस मनाया

डंडलोद, (मिस्र) डंडलोद, पब्लिक स्कूल डंडलोद में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयती के उल्लङ्घन में प्रारक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय सचिव बीएल रणवीर एवं प्राचार्य जी। प्रकाश ने नेताजी के चित्र पर पुष्टांति अर्थात् की जयती की प्राच्यापव अशोक सैनी ने नेताजी के जीवन चित्रित पर प्रकाश डाला। प्राचार्य जी। प्रकाश ने अपने चित्र प्रकट करते हुए कहा कि नेताजी साहसी और स्वतंत्रता के प्रति अति उत्थापित नेता थे। उनके लिए राज्य सर्वोच्ची था। उन्होंने कोफिं से बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्रपति एवं स्वतंत्रता का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बालेन में फ्री इडियो सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता ओंदोलन को आगे बढ़ावा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा... उनका यह नारा राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित था। नेताजी के इसी राष्ट्रवाद ने उन रचनात्मक शक्तियों का जगाया, जो सदियों से भारतीयों में निकिय थी। नेताजी केवल एक क्रांतिकारी नेती ही नहीं थी। बल्कि एक ऐसे विचारक थे। जिह्वोंने भारतीय युवाओं को अपने सामने को बड़ा करने और उनके लिए संघर्ष करने का जज्जा जनादोलन के रूप में देख रहे हैं।

जिला कार्यालय जायद, ताराचंद यादव, जमनालाल यादव, ताराचंद यादव, सुगनचंद निमोद, महेश मेंगेतिया, नेंदू सुमनलता आदि ने अपना समर्थन दिया है।



LIC's  
बीमा  
सखी



एलआईसी के साथ  
अपना विकास सुनिश्चित करें

स्वावलंबी नारी, खुशहाली हमारी

आवेदन के लिए, नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर विज़िट करें

हमें फोलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

भाषक फोन कॉल्स और धूते/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें, आईआरआईएआई बीमा पालिसी बेने या बोनस की घोषणा करने या प्राप्तिय के निवेश जीसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता। जनता ने निवेदन है कि ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने पर वे पुलिस में शिकायत लें रखाएं। जीवित घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया विज़ी से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्ण पढ़ ले।



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार



श्री भजनलाल शर्मा  
मुख्यमंत्री राजस्थान

# राष्ट्रीय बालिका दिवस

24 जनवरी, 2025

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत

गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है



मुख्य योजना के तहत

3 लाख रुपये तक का इनाम

भूषण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं.

104/108 या वाट्सएप नं. 9799997795 पर शिकायत दर्ज कराएं,

मुख्य योजना की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



## राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.इ.सी.) राजस्थान, जयपुर











